(1,2)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PR

Y 371293

ट्रस्ट डीड

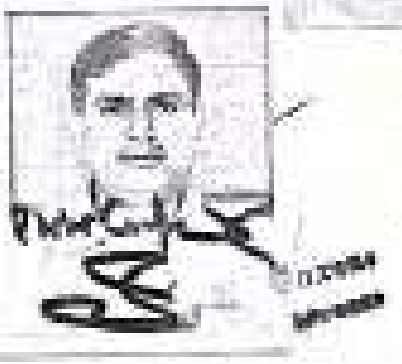

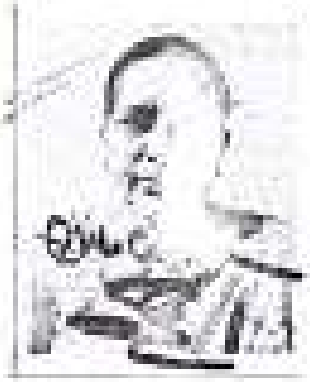

मालियत-10,000/- रूपये
स्टाम्प रेट-750/-
रजिस्ट्रार उप निबन्धक...I......बरेली

यह ट्रस्ट डीड दिनांक 09/01/2008 को गीता मिश्रा पत्नी श्री अनिल मिश्रा निवासी अशोक विहार निकट संजय नगर सिरसा पीलीभीत रोड बरेली द्वारा सम्पादित की जाती है।

मैं कि गीता मिश्रा पत्नी श्री अनिल मिश्रा निवासी अशोक विहार निकट संजय नगर सिरसा पीलीभीत रोड बरेली का हूँ, मेरी काफी समय से यह इच्छा रही है कि मैं एक शैक्षिक, धार्मिक एवं सामाजिक ट्रस्ट की स्थापना करूं जिससे समाज में बढ़ रही कुरीतियों को दूर करने का प्रयास हो सके, इसलिए मैं अपनी खुशी से रु0 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) से ट्रस्ट का निर्माण करती हूँ-

ट्रस्ट का सम्पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है-

1.	ट्रस्ट का नाम :	पं0 राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट
2.	ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय :	संजय नगर सिरसा, निकट एस0बी0आई0 महानगर ब्रांच पीलीभीत बाईपास रोड अशोक विहार, [illegible], बरेली।

Geeta Anil Mishra राजेश्वरी देवी

पं0 राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट

Secretary

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CU 927562

3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष व अन्तर्राष्ट्रीय

4. ट्रस्ट की प्रकृति : शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट।

<u>ट्रस्ट के उद्देश्य</u>

<u>प्रमुख उद्देश्य :-</u>

1. पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने एवं प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कराना एवं गौशालाओं की स्थापना करना एवं ऊसर खाली पड़ी बंजर भूमि, कृषि भूमि पर सरकार व गैर सरकारी संस्थाओं के एवं स्वयं के माध्यम से सघन वृक्षारोपण एवं वनीकरण को बढ़ावा देना। पर्यावरण व प्रदूषण के प्रति लोगों में जनजागृति पैदा करना।
2. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सामाजिक पत्रिका छपवाना, गोष्ठियों, सेमिनार, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, राहत शिविरों,महिला व पुरुषों को ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में निःशुल्क चिकित्सालय एवं गरीब वर्ग साधु, संतों, अपाहिज, रोगियों के लिए सस्ता व उत्तम धर्मशाला बनवाना और उसके लिए सरकार तथा देशी व विदेशी एजेंसियों से अनुदान लेना।
3. शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था करना, नारी व डिग्री कालेज, प्रौढ़ शिक्षा स्कूल, चिकित्सा संस्थान, अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

For Pt. Rajendra Prasad ... Trust

Chairman

क्रय पत्र

[illegible]

	290.00	100	200.00	34		
	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या		

नाम श्री/श्रीमती
निवासी नीरज मिश्रा
पत्नी श्री अमित मिश्रा

[illegible]

निवासी स्थायी [illegible] अशोक विहार विकास कॉलोनी [illegible] काशीपुर
अस्थायी पता

[illegible] दिनांक 20/1/2016 समय 2:51 PM

[illegible]

निबंधक अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश कुमार
उप निबंधक प्रथम
काशीपुर
20/1/2016

[illegible]

[illegible]

श्रीमती नीरज मिश्रा
पत्नी श्री अमित मिश्रा
पेशा
निवासी अशोक विहार विकास कॉलोनी [illegible]
काशीपुर

श्री अमित मिश्रा
पुत्र श्री [illegible] मिश्रा
पेशा
निवासी [illegible]

श्रीमती [illegible] मिश्रा
पत्नी श्री [illegible] मिश्रा
पेशा
निवासी [illegible]

Scanned with CamScanner

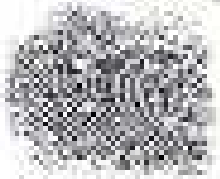

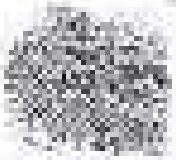

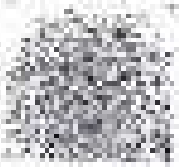

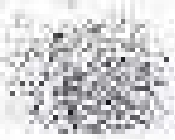

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 927563

-3-

करना तथा दूरस्थ शिक्षा तकनीकी, ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना व विधिवत संचालन कर युवक-युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाना।

4. तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु चिकित्सकीय शिक्षा, कम्प्यूटर में साफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, तकनीकी शिक्षा, प्रिन्ट मीडिया, वेब मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, मैकेनिकल और इलेक्ट्रानिक, टेली कम्युनिकेशन, व्यावसायिक इत्यादि शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना व इनको इनसे सम्बन्धित उद्देश्यों की सहायता करना व कराना व सर्वांगीण विकास हेतु संस्थान बनाना व बनवाना।

5. देश विदेश में प्राणियों पर आने वाली प्राकृतिक तथा क्षेत्रीय आपदाओं की स्थिति में दुर्गत सूखा, बाढ़, भूकम्पग्रस्त, रेल दुर्घटनाओं इत्यादि दुर्घटनाओं में मरकज को समय समय पर सभी प्रकार की सहायता प्रदान करना व करवाना।

6. समाज से उपेक्षित जैसे अन्धे, अपाहिज, कुष्ठ रोगी, मूक बधिरों, विकलांगों, निराश्रित लाचार, वृद्धजनों के कल्याण के लिए बाल आश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की निःशुल्क स्थापना करना तथा जरूरतमंदों को समय समय पर दूध, वस्त्र, अनाज, फलों, दवाओं, [illegible] वालों की पानी इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्था व सहायता करना।

7. समाज के जनकल्याणार्थ पानी, रहने, पीने की हर समस्या के समाधान हेतु पानी टंकी, सड़क

Chairman

11371
[illegible]

[illegible]

विवाह पंजीकरण [illegible] :

[illegible]   विजय कुमार

[illegible]

[illegible]   555 विश्वासपुर बरेली

पुत्रि
विजय कुमार

[illegible]   विश्वासपुर बरेली

[illegible]

[illegible]

पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनोद कुमार
उप निबन्धक प्रथम
बरेली
23/1/2018

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BD 364517

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-4-

खोलने, रैन बसेरों, सरकारी धर्मशालाओं इत्यादि हर प्रकार से सहायता करना व करवाना। इसके लिए सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं से सहायता लेना व सहायता करना।

८. देश विदेश में हो रहे भ्रष्टाचार, क्राइम, साइबर क्राइम के खिलाफ देश में जन जागरूकता पैदा करना व इसके लिए सरकारी प्रशासन, राजनीतिज्ञ और सभी विभागों से मिलकर इसकी रोकथाम के उपाय करना व करवाना, इसके लिए समय समय पर सेमिनार, गोष्ठियां करना, शासकीय व प्रशासनिक अधिकारियों व व्यक्तियों को सूचना देकर रोकथाम करवाना व प्रिन्ट मीडिया, वेब मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, पत्रिकायें चालू करना व इनसे सहायता लेना व देना।

९. लुप्त हुई संस्कृति प्राच्य विधाओं (वैदिक, पारम्परिक) लुप्त हुई प्रथा एवं अवस्था तीर्थ व तीर्थ स्थलों, नदी, तालाब, कुंआ, मन्दिर, पर्वत इत्यादि का विकास करना तथा इसके लिए अनुसंधान केन्द्र बनाना व सहायता लेना व करना व पुरातत्व विभाग के देवालय आदि की सहायता करना व सहायता लेना।

१०. पशु, पक्षी, जीव, जन्तु, जानवरों, लुप्त हुई प्रजातियों की देखभाल करना व उनके लिए स्थान बनाना, क्षेत्र में घूमती बूढ़ी कमजोर वाली भूखी-प्यासी गायों व पशु-पक्षियों के कल्याण हेतु गायों के लिए गऊशाला बनवाना व दुग्ध निर्मित मिठाईयों, घी, पनीर, इत्यादि

Amit mishra

राजेश्वरी देवी

For Pt. Rajendra Prasad Smarak Trust

Amit mishra

Chairman

Scanned with CamScanner

Registration No.: 18 Year: 2,016 Book No.: 4

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned with CamScanner

के द्वारा गऊ रक्षा करना व जनकल्याण हेतु गऊ मूत्र व गोबर और गऊ एवं पशु, पक्षियों के ऊपर अनुसंधान केन्द्र बनाना व सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं से अनुदान लेना व देना।

11. खादी ग्रामोद्योग, कमीशन आदि कार्यक्रमों का प्रचार करना एवं अनुदान आदि प्राप्त करना।

12. यह कि उपरोक्त ट्रस्ट विभिन्न सरकारी संस्थाओं जैसे नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा इत्यादि से तथा विभिन्न प्रकार की गैर सरकारी संस्थाओं से भूमि आवंटन ले सकेगा जिससे ट्रस्ट के मुख्य कार्य व उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके और ट्रस्ट अपने रचनात्मक कार्यों के लिए किसी भी सरकारी, गैर सरकारी संस्था, समूह या व्यक्ति विशेष, किसी जाति, धर्म अथवा समुदाय से भूमि अथवा इमारत आदि क्रय कर सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी सम्पत्ति का ट्रस्ट में समायोजन कर सकेगा, किराये पर या लीज पर ले सकेगा अथवा दान ले सकेगा, आवश्यकता पड़ने पर उसे दान में दे सकेगा, किराये पर अथवा लीज पर दे सकेगा तथा विक्रय भी कर सकेगा। ट्रस्ट अपनी सम्पत्ति को किसी अच्छे उद्देश्य हेतु धन की पूर्ति हेतु बंधक भी रख सकेगा, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या संस्था से ऋण प्राप्त कर सकेगा, ऋण प्राप्त करने में जो भी कार्यवाही करना जरूरी होगी वह अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से ही की जा सकेगी। अर्थात् अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से ऋण प्राप्त किया जा सकेगा।

13. यह कि उपरोक्त ट्रस्ट के कार्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य/केन्द्र सरकार व विदेशों से धन, अनुदान व वित्तीय सहायता प्राप्त करना, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि किसी निकाय किसी एन0जी0ओ0 अन्य किसी ट्रस्ट व अन्य किसी स्रोत से दान, अनुदान, एवं ऋण प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही ट्रस्ट भी अपनी आय में से किसी अच्छे उद्देश्य एवं रचनात्मक कार्य करने वाली संस्था, समिति व ट्रस्ट को रचनात्मक कार्यों के लिए अनुदान दे सकेगा। ट्रस्ट वित्तीय गतिविधियों का लेखा-जोखा पूरी ईमानदारी से व्यवस्थित रजिस्टर में किया जायेगा और उसको देखने व समझने का अधिकार हर उस सदस्य को होगा जो इस ट्रस्ट का स्थाई सदस्य होगा।

14. यह कि उपरोक्त ट्रस्ट को क्रियान्वित करने हेतु कर्मचारी भी रखे जा सकेंगे जो ट्रस्ट के अध्यक्ष की लिखित सहमति से रखे व निकाले जा सकेंगे और उनकी तनख्वाह ट्रस्ट की आय में से ही दी जाया करेगी।

15. बेरोजगार लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु लघु कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग लगाना व सरकारी व गैर सरकारी व अर्द्ध सरकारी विभागों व बैंकों व संस्थाओं से सहायता लेना।

16. समाज की निर्धन कन्याओं की शादी विवाहों, शिक्षा में सहयोग करना, दहेज रहित सामूहिक विवाहों का आयोजन करना एवं परित्यक्ताओं व विधवाओं का पुनर्विवाह हेतु प्रेरित करना तथा युवक-युवती परिचय सम्मेलन करना एवं कराना। गोष्ठियों का आयोजन कर परिवार

For Pt. [illegible] Prasad Smarak Trust

Chairman

Scanned with CamScanner

[illegible]

Registration No.: 39 Year: 2016 Book No.: 4

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

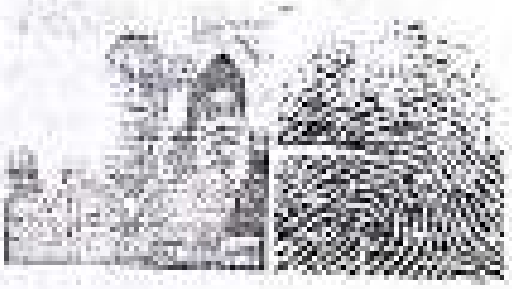

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned with CamScanner

नियोजन व कल्याण हेतु जानकारी प्राप्त कराना। बढ़ती हुई जनसंख्या रोकने हेतु जनचेतना पैदा करना।

17. जनहित के लिए यूनानी, नर्सरी, औषधियां, जड़ी बूटियो का पैदा करना व आयुर्वेदिक, ऐलोपैथिक, दवाओं का निर्माण करना व इसके लिए अनुसंधान केन्द्र बनाना व बनवाना।

18. भगवान की भक्ति व हर धर्म की, के प्रचार प्रसार हेतु जगह-जगह पूजा, पाठ, सत्संग, कीर्तन, गोष्ठियों, धर्मोत्सव इत्यादि का कार्य करना और लोगों को भगवान की भक्ति में लगाना व इसके लिए वेब मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रिकायें इत्यादि निकलवाना व निकालना।

19. असाध्य रोगों जैसे टी.बी., कैंसर, कुष्ठ, एड्स, हैपेटाइटिस, हृदय, पेट आदि के रोगों के लिए सामाजिक जनचेतना पैदा करना व इसके लिए रोगों के इलाज के ऊपर अनुसंधान करना व कराना। इसके लिए सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं से सहायता लेना व देना।

<u>परिभाषायें</u>:- ट्रस्ट की डीड में उल्लिखित कुछ शब्दों का तात्पर्य निम्नलिखित है-

1. ट्रस्ट से तात्पर्य मानव कल्याणकारी कार्यों के प्रचार प्रसार हेतु प्रस्तावित एक शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट से है।
2. ट्रस्ट के नियमों व उपनियमों से तात्पर्य ट्रस्ट के संचालन तथा समय-समय पर लागू होने वाले नियमों से है।
3. ट्रस्टियों से तात्पर्य ट्रस्ट के रजिस्टर में लिखित ट्रस्टियों से है।
4. बोर्ड ऑफ ट्रस्ट से तात्पर्य इस ट्रस्ट की ट्रस्ट बोर्ड से है जिसका गठन ट्रस्ट के स्थायी ट्रस्टीगण करेंगे।

<u>योग्यता</u> :-

1. प्रारंभिक संस्थापक अध्यक्ष हमेशा ट्रस्ट का प्रबन्ध ट्रस्टी रहेगा।
2. जो सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा के प्रचार प्रसार, भारतीय संस्कृति के समन्वित विकास तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सफलता हेतु कार्य करने एवं सहयोग देने में पूर्ण रुचि रखता है।
3. वह बालिग हो (18 वर्ष की आयु) तथा ट्रस्ट के नियमों, उपनियमों को मानता हो व पालता हो।
4. जिसको ट्रस्टी के रूप में स्थायी ट्रस्ट बोर्ड ने स्वीकार किया हो।
5. वह दिवालिया घोषित न हो या न्यायालय द्वारा घोषित मानसिक रोग ग्रस्त या नैतिक दोष में अभियुक्त न हो।
6. ट्रस्ट की ट्रस्टी होने पर आने वाले ट्रस्टी को निर्धारित फार्म पर अपनी घोषणात्मक स्वीकृति देनी व लेनी होगी जिस पर ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति आवश्यक होगी। संस्थापक अध्यक्ष कभी भी किसी भी समाजसेवी व्यक्ति को ट्रस्ट का ट्रस्टी बना सकता है। स्थायी ट्रस्टीगणों की स्वीकृति की आवश्यकता न होगी।

Pt. Ayodhya Prasad Smarak Trust

Scanned with CamScanner

<u>योग्यता की समाप्ति –</u>

1. यदि कोई ट्रस्टी मानसिक रोग ग्रस्त हो जाता है या किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया या दोषी अभियुक्त घोषित किया जाता है तो उसकी न्यासता समाप्त हो जायेगी।
2. ट्रस्टीशिप, ट्रस्टी की इच्छा से समाप्त की जा सकती है यदि व उसकी सूचना अध्यक्ष को 1 माह पूर्व में लिखित रूप में दे दें।
3. ट्रस्टी को ट्रस्टीशिप से निष्कासित कर दिये जाने पर उसकी ट्रस्टीशिप वापिस नहीं होगी।
4. यदि संस्थापक अध्यक्ष को पूर्ण विश्वास है कि उक्त ट्रस्ट बोर्ड में बने रहने से ट्रस्ट को हानि होगी या हो रही है अपने विशिष्ट अधिकार के अन्तर्गत उसे उक्त ट्रस्ट से हटा सकेंगे।

<u>ट्रस्ट बोर्ड –</u>

1. ट्रस्ट की दैनिक व्यवस्था ट्रस्ट बोर्ड संचालन करेगी। ट्रस्ट बोर्ड के पदाधिकारियों का चुनाव केवल संस्थापक अध्यक्ष को छोड़कर 5 वर्ष के लिए होगा तथा यह चुनाव ट्रस्ट बोर्ड स्थायी संस्थापक ट्रस्टियों के द्वारा किया जायेगा परन्तु ट्रस्टीशिप आजीवन बनी रहेगी तथा पदों का चुनाव 5 वर्ष बाद ही होगा।
2. ट्रस्ट के स्थायी ट्रस्टी जिनसे ट्रस्ट की बोर्ड का निर्माण हुआ है वह 2/3 बहुमत से ही ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष को छोड़ किसी भी ट्रस्टी/पदाधिकारियों को पदच्युत कर सकते है यदि वह कार्य करने में असमर्थ है या ट्रस्ट के हित के विपरीत कार्य करता है।
3. ट्रस्ट में ट्रस्ट बोर्ड का गठन संस्थापक अध्यक्ष या संस्थापक ट्रस्टियों द्वारा स्वीकृत व्यक्ति ही ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे जिनके द्वारा स्थायी ट्रस्ट बोर्ड का निर्माण हुआ है, ट्रस्ट की अन्य आवश्यक आय व्यय नियम, उपनियम, नियुक्ति निष्कासन इत्यादि कार्य भी इन्हीं के द्वारा सम्पन्न किये जायेंगे।
4. ट्रस्ट का संचालन हेतु ट्रस्ट बोर्ड सहित ट्रस्टियों की संख्या कम से कम (तीन) होगी इसे अध्यक्ष उक्त ट्रस्ट के सभी सहयोगी ट्रस्ट व परामर्शी मण्डल, दानदाता के रूप में होंगे जिनको उचित व्यवस्था हेतु लिखित सुझाव देने का ही अधिकार होगा।
5. प्रथम संस्थापक अध्यक्ष के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उनके द्वारा लिखित नामांकित किया योग्य व्यक्ति ही उक्त ट्रस्ट बोर्ड में अध्यक्ष होगा और यदि संस्थापक अध्यक्ष के आकस्मिक निधन हो जाने पर और उनके द्वारा कोई लिखित मनोनीत अथवा नियुक्त न किये जाने पर बोर्ड के अन्य स्थायी सदस्यों को अधिकार होगा कि वह बैठक कर स्थायी सदस्यों की 2/3 बहुमत के आधार पर नये अध्यक्ष का चुनाव कर लें। नये आये अध्यक्ष का सभी ट्रस्टी सदस्य ट्रस्ट में तन, मन, धन से सहयोग करेंगे। किसी भी सदस्य का ट्रस्ट में असहयोग करने पर निष्कासित करना सर्वोच्च निर्णय सर्वाधिकार अध्यक्ष के पास सुरक्षित है व रहेगा।

For Pt. Rajendra Prasad Shiksha Trust

Chairman

Scanned with CamScanner

स्थायी ट्रस्टियों (ट्रस्ट बोर्ड) के जिनसे कि सर्वप्रथम ट्रस्ट का निर्माण हुआ है नाम, पते निम्न प्रकार है:-

1. गीता मिश्रा पत्नी श्री अमित मिश्रा निवासी मो० रूपनपुरी पूरनपुर पीलीभीत संस्थापक अध्यक्ष।
2. अमित मिश्रा पुत्र स्व० राजेन्द्र मिश्रा निवासी मो० रूपनपुरी, पूरनपुर, पीलीभीत, सचिव।
3. राजेश्वरी मिश्रा पत्नी स्व० राजेन्द्र मिश्रा निवासी मो० रूपनपुरी पूरनपुर, पीलीभीत कोषाध्यक्ष।

ट्रस्ट बोर्ड के अधिकार :-

1. ट्रस्ट के किसी आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति ट्रस्ट बोर्ड द्वारा की जायेगी, जिसका अन्तिम निर्णय संस्थापक अध्यक्ष का होगा।
2. यदि कोई पदाधिकारी बिना अध्यक्ष की लिखित अनुमति के ट्रस्ट बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो बोर्ड उसका ट्रस्टी के पद को भी रिक्त घोषित कर सकती है।
3. ट्रस्ट बोर्ड को यह अधिकार होगा कि ट्रस्ट के कार्यक्रमों व नीतियों को निर्धारित करें। ट्रस्ट के हितों को क्रियान्वित करें।
4. ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति पर अपना नियन्त्रण रखना।
5. ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी प्रोजेक्ट के कर्मिक अधिकारी की नियुक्ति या बरखास्त करना उसके पारिश्रमिक का निर्धारण करना।
6. ट्रस्ट बोर्ड द्वारा निर्णयों को अन्तिम रूप देने के लिए ट्रस्ट बोर्ड 2/3 बहुमत से ही प्रस्तावों का स्वीकृत एवं मान्य करेगा।
7. ट्रस्ट बोर्ड अपने अन्तर्गत संचालित प्रोजेक्टों के लिए स्थानीय प्रबन्ध कमेटी/प्रबन्धकारिणी समिति मनोनीत कर सकेगी।
8. ट्रस्ट बोर्ड अपने अन्तर्गत चलाये जा रहे स्कूल, कालेज, अतिथि भवन या अन्य सामाजिक प्रोजेक्टों की प्रबन्धकारिणी समिति के असंतुष्ट कार्यों के लिए समिति को भंग कर नयी समिति गठित कर सकेगी।

अन्य अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. ट्रस्ट के क्रियाकलापों के संचालन हेतु समस्त आवश्यक कार्य करना।
2. ट्रस्ट की आवश्यक व्यवस्था करना, आवश्यक पत्र व्यवहार करना तथा प्रयोजनार्थ कर्मचारियों की नियुक्ति व निष्कासित करना व उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना।
3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धन एकत्र करना सम्पत्ति क्रय विक्रय करना, पट्टे पर लेना, दान-अनुदान, वस्तु उपहार लेना तथा उसे उचित रूप से ट्रस्ट के हित में व्यय करना एवं समान उद्देश्यों वाली संस्था, ट्रस्ट, संगठन आदि को देना।
4. ट्रस्ट द्वारा किसी भी संस्थान एवं संगठन व उपसमिति के नाम से किसी भी विधिवत

G Mishra   Amit mishra

राजेश्वरी देवी

For Pt. Rajendra Prasad Smarak Trust

Amit mishra

Chairman

Scanned with CamScanner

सरकारी विभाग सोसाइटी कार्यालय में नामित कराकर संचालन करना तथा उसके किसी भी आन्तरिक एवं बाह्य निर्णयों को लेने का अधिकार इस ट्रस्ट को ही होगा जिन्हें नियमावली में अंकित किया गया है या रह गया हो जिससे संस्था के उद्देश्य की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधाओं का निपटारा ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किया जा सके।

5. ट्रस्ट के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय-समय पर समितियों व उपसमितियों की नियुक्ति करना तथा आवश्यक नियम व उपनियम बनाना।

6. ट्रस्ट बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार बुलाना उसका संचालन करना। अतिरिक्त बैठक बुलाने के लिए संस्थापक अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी।

7. ट्रस्ट की सम्पत्तियों की धरोहर के रूप में रक्षा करना।

8. ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष को बैठकों का सभापति चुना जायेगा तथा अध्यक्ष की लिखित अनुपस्थिति में ट्रस्ट बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यक्ति बैठक की अध्यक्षता करेगा।

9. ट्रस्ट बोर्ड में पदाधिकारियों की संख्या कम से कम 3 (तीन) होगी। आने वाले समय में यह संख्या ट्रस्ट बोर्ड या अध्यक्ष के अधिकार से और अधिक भी बढ़ाई जा सकती है।

10. अन्य ट्रस्टों, संस्थाओं, संगठनों के साथ गठबन्धन करके तथा साथ उचित शर्तों और नियमों के अनुसार कार्य करना।

11. ट्रस्ट किसी सामाजिक व पर्यावरण तथा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि, भवन किराये या पट्टे पर लेती है या किसी भी ट्रस्टी की भूमि, भवन का उपयोग करती है तो उसके नवनिर्माण, मरम्मत व आवश्यक परिवर्तन निश्चित शर्तों पर करवा सकती है।

<u>ट्रस्ट बोर्ड की बैठक</u> :-

1. ट्रस्ट बोर्ड की बैठक वर्ष में एक बार ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय पर या अध्यक्ष द्वारा निश्चित स्थान व समय पर होगी तथा आकस्मिक सभा का आयोजन अध्यक्ष के द्वारा कभी भी किया जा सकेगा।

2. वार्षिक बैठक के लिए सामान्यतः कम से कम सात दिन की स्पष्ट सूचना देना आवश्यक होगी। अन्यथा आवश्यक मसलों को कम समय सूचना पर भी बैठक बुलायी जा सकती है।

3. ट्रस्ट के प्रत्येक ट्रस्टी को ट्रस्ट के मुख्य कार्यालय में कार्यवाही पुस्तकें व अन्य आय व्यय सम्बन्धित दस्तावेजों को निःशुल्क परीक्षण करने का अधिकार होगा।

4. प्रत्येक बैठक के लिए उक्त ट्रस्ट के कम से कम 2/3 ट्रस्टियों की उपस्थित होने पर ही बैठक न्यायिक बैठक मानी जायेगी। निर्धारित कोरम से कम ट्रस्टियों की उपस्थिति होने पर आगामी बैठक की सूचना अध्यक्ष द्वारा निश्चित स्थान व समय पर एक माह के अन्तर्गत बुलाई जा सकती है जिसमें पुनः कोरम पूरा न होने पर किसी भी प्रकार से लिखित स्वीकृति समस्त ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी/पदाधिकारियों की मान्यता पर ही निर्णय वैधानिक रूप ले सकेगा।

For F.I. Rajendra Prasad Shiksha Trust

Scanned with CamScanner

ट्रस्ट बोर्ड के पदानुसार अधिकार एवं कर्तव्य दिये जायेंगे:-

संस्थापक अध्यक्ष/अध्यक्ष

1. ट्रस्ट का अध्यक्ष सर्वोच्च पदाधिकारी होगा। वह ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता तथा ट्रस्ट के सर्वांगीण प्रशासन पर नियन्त्रण करेगा।
2. ट्रस्ट के विभिन्न क्रियाकलापों के व्यय एवं विनियोग (चल अचल सम्पत्ति) की अन्तिम स्वीकृति अध्यक्ष ही देगा।
3. प्रथम अध्यक्ष पद की अवधि आजीवन होगी एवं उसके स्वर्गवास के पश्चात उनके द्वारा लिखित मनोनीत व्यक्ति या ट्रस्ट के स्थायी ट्रस्टियों द्वारा चयन किया जायेगा। यदि किसी समय अध्यक्ष अपने पद पर आसीन न रहना चाहे तो किसी दूसरे व्यक्ति का चुनाव ट्रस्टियों द्वारा या स्वयं अपने विवेकानुसार स्वयं भी योग्य व्यक्ति को अध्यक्ष पद का भार सौंप सकता है। जब तक दूसरा अध्यक्ष न चुन लिया जाये पहले अध्यक्ष को अपने पद पर आसीन रहना होगा।
4. ट्रस्ट के समस्त कोषों तथा सम्पत्ति पर अध्यक्ष को नियन्त्रण रखने का अधिकार होगा।
5. ट्रस्ट यदि अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है या उसके सम्मुख विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है तो अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि वह ट्रस्टियों की आवश्यक बैठक आमन्त्रित करके इस नियमावली व ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत ट्रस्ट के विघटन की व्यवस्था कर सकता है। विघटन के लिए शत प्रतिशत बहुमत आवश्यक होगा।
6. अध्यक्ष हेतु अन्य अधिकार एवं शक्तियों के निर्धारण हेतु ट्रस्ट बोर्ड द्वारा सुझाव दिया जा सकता है।
7. ट्रस्ट के लिए कानूनी (वैधानिक) पूर्ति हेतु वैधानिक सलाहकार नियुक्त कर सकता है।
8. अध्यक्ष को किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही को स्वयं विवेक पर करने व संचालित करने का अधिकार होगा।
9. अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं या अन्य सोसाइटी के आन्तरिक एवं बाह्य निर्णयों को लेने व देने का अधिकार होगा।
10. अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट बोर्ड में (विस्तार) नये ट्रस्टियों(स्थायी व अस्थायी) को स्वयं ही अपने विवेक पर बनाने व निकालने का अधिकार रहेगा लेकिन अस्थायी ट्रस्टियों को ट्रस्ट बोर्ड की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा एवं पदाधिकारियों का चुनने में वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
11. अध्यक्ष को ट्रस्ट के नये नियम, उपनियम, उद्देश्यों को बनाने व समाप्त करने का अधिकार होगा।

सचिव-

1. सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह ट्रस्ट की समस्त बैठकों का बुलाने व उनका संचालन

For Pt. Rajendra Prasad Smarak Trust
Chairman

Scanned with CamScanner

करें तथा उनकी समस्त कार्यवाहियों का विवरण कार्यवाही पंजी में लिखें व उन्हें आगामी बैठकों में अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित पुष्टि करावें।

2. ट्रस्ट की ट्रस्ट बोर्ड द्वारा पारित प्रस्तावों तथा निर्णयों को क्रियान्वित करें। ट्रस्ट की ओर से सभी पत्र व्यवहार करेगा। इनके पश्चात् सचिव पद की नियुक्ति स्थायी ट्रस्टियों के द्वारा अथवा ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा की जावेगी।
3. ट्रस्ट की ओर से सारे पत्र व्यवहार करें।
4. ट्रस्ट की कानूनी किताबें एवं रिकार्ड को लिखें या लिखवावें व उन्हें उचित रूप से सम्भाल कर रखें।
5. ट्रस्ट की सभी लेन-देनों का हिसाब ठीक प्रकार से लिखवाना एवं कोषाध्यक्ष को आगामी बजट बनाने में सहयोग करें।
6. ट्रस्टियों व दानदाताओं की पुस्तक में उनके समस्त विवरण नाम, पता, आयु व्यवसाय लिखें।
7. ट्रस्ट की प्रगति एवं कार्यवाहियों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करें व उसे ट्रस्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें व समस्त ट्रस्टी व दानदाताओं तथा परामर्श मण्डल को एक प्रति भिजवायें।
8. ट्रस्ट से सम्बन्धित कानूनी पैरवी करें व करवायें।

कोषाध्यक्ष :-

1. ट्रस्ट के दैनिक लेन देन का आर्थिक लेखा जोखा लिखना।
2. ट्रस्ट के हिसाब किताब को तैयार करके उसे ट्रस्टियों के समक्ष प्रस्तुत करना।
3. प्रत्येक वर्ष ट्रस्ट की वार्षिक हिसाब-किताब स्थिति विवरण तथा बजट तैयार करने में आवश्यक पदाधिकारी व सचिव को सहायता प्रदान करना।
4. ट्रस्टियों को आर्थिक मामलों में सलाह देना एवं उचित राय प्रस्तुत करना।
5. ट्रस्ट के धन कोषों व धरोहरों (सम्पत्तियों एवं विनियोगों) का लेखा जोखा रखना।
6. कोषाध्यक्ष को उन सभी अधिकारों व कर्तव्यों का पालन करना होगा जो अध्यक्ष द्वारा दिये जावेंगे।

ट्रस्टियों के अधिकार व कर्तव्य :-

1. ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी व पदाधिकारी अवैतनिक होंगे।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यदि कोई ट्रस्टी कोई धन व्यय करता है तो ट्रस्ट का धनराशि उस ट्रस्टी को भुगतान करेगा।
3. यदि ट्रस्ट किसी भी उद्देश्य पूर्ति हेतु भवन अथवा सम्पत्ति किराये पर लेता है अथवा क्रय करता है तो उसका भुगतान ट्रस्ट अपने धन कोष में से करेगा।
4. ट्रस्टियों द्वारा ट्रस्ट की बैठक में स्वयं भाग लेना, मतदान करना, ट्रस्ट की गतिविधियों के बारे में बैठक में आवश्यक प्रश्न करना व उनका समाधान सम्बन्धित पदाधिकारी से प्राप्त करना।

Reg.Pt. Rajendra Prasad Smarak Trust

Chairman

Scanned with CamScanner

5. ट्रस्ट बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों को मानना तथा उसके सभी कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से भाग लेना।

<u>ट्रस्टियों का रजिस्टर:-</u>

1. ट्रस्ट बोर्ड द्वारा ट्रस्टियों का विवरण समय-समय पर निर्धारित पंजी में लिखा जायेगा जिसमें निम्नांकित प्रविष्टियां होंगी-

1. ट्रस्टी का नाम 2. पिता/पति का नाम 3. आयु 4. पता 5. व्यवसाय

<u>कोरम:-</u>

किसी नियम उप नियम, विघटन, निर्वाचन अन्य ट्रस्ट के निर्णयों की स्वीकृति करने के लिए ट्रस्ट के ट्रस्टियों के कम से कम 2/3 ट्रस्टियों की उपस्थिति होने पर ही बैठक की जायेगी निर्धारित कोरम के कम होने पर बैठक स्थगित मानी जायेगी। आगामी बैठक अध्यक्ष द्वारा निश्चित स्थान व समय पर 1 माह के अन्तर्गत बुलाई जायेगी। जिसमें पुनः कोरम न होने पर किसी आकस्मिकता के निवारण हेतु उपस्थित ट्रस्टियों द्वारा स्वीकृत तथा जो ट्रस्टी उपस्थित न हो सके है उनकी लिखित स्वीकृति पर अर्थात् 2/3 बहुमत से ही कोई भी निर्णय वैधानिकता का स्वरूप होगा।

<u>बैंक खाते :-</u>

ट्रस्ट का उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट की समस्त आय व धनकोष का उचित रूप से व्यय व विनियोग विवरण रखा जायेगा तथा उसका कोई भी अंश या लाभांश या बोनस के रूप में नहीं बांटा जायेगा तथा कोई आय या लाभ होने पर उसे पूर्ण रूप से ट्रस्ट के उद्देश्यों में ही उपयोग में ही व्यय किया जायेगा या विशिष्ट कोष बनाया जायेगा जिसे सरकारी पत्रों में जमा किया जायेगा और ट्रस्ट हेतु प्राप्त सभी दानों, अनुदानों, आयों व चन्दों की रकम को किसी बैंक या बैंकों में अध्यक्ष के निर्देशानुसार जमा किया जायेगा। बैंक खाते का संचालन अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा बैंक खाता संचालित किया जा सकता है।

<u>ट्रस्ट की पुस्तकें:-</u>

ट्रस्ट की ट्रस्ट बोर्ड का उत्तरदायित्व होगा कि वह निम्नलिखित पुस्तकों व रिकार्ड को लिखकर रखें।

1. रोकड़ बही 2. खाता बही 3. वाउचर 4. रसीद की किताब 5. कार्यवाही पंजिका

<u>अंकेक्षण:-</u>

ट्रस्ट का आर्थिक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। वर्ष की समाप्ति पर पूरे वर्ष का आर्थिक हिसाब-किताब, आय व्यय विवरण तथा स्थिति विवरण किसी योग्यता प्राप्त अंकेक्षक के द्वारा अंकेक्षित कराया जायेगा जिनकी नियुक्ति ट्रस्ट बोर्ड द्वारा की जायेगी।

<u>ट्रस्ट डीड में संशोधन प्रक्रिया:-</u>

ट्रस्ट डीड में किसी भी प्रकार ट्रस्टी, नियम, उपनियम, उद्देश्यों आदि में कोई भी संशोधन अध्यक्ष की स्पष्ट सहमति के बिना नहीं होगा।

For Pt. Rajendra Prasad Smarak Trust

Chairman

Scanned with CamScanner

ट्रस्ट पर ऋण :-

ट्रस्ट द्वारा लिये गये किसी भी ऋण की अदायगी की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी। किसी भी परिस्थिति में ट्रस्ट द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी की जिम्मेदारी ट्रस्टीगण या संस्थापक ट्रस्टी अथवा संस्थापक ट्रस्टी की सम्पत्ति पर आधार नहीं होगी। ऋण की अदायगी ट्रस्ट द्वारा एकत्रित धन से ही की जायेगी।

विघटन :-

ट्रस्ट का विघटन भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत ट्रस्ट बोर्ड के कम से कम 3/4 ट्रस्टियों द्वारा प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। ट्रस्ट के विघटन होने पर कोई ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से इस ट्रस्ट के लेन देन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि भुगतान के बाद कोई सम्पत्ति बचती है तो वह ट्रस्टियों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि वह सम्पत्ति उस ट्रस्ट संस्थान, संगठन को दान स्वरूप दे दी जायेगी जिसके विचार, नियम, उपनियम इस ट्रस्ट से मिलते जुलते हों।

ट्रस्ट की सम्पत्ति :-

यह एक स्वतन्त्र ट्रस्ट है, किसी भी संस्था से सम्बन्ध नहीं है एवं ट्रस्ट के नाम 10,000/- रूपये के अतिरिक्त चल व अचल कोई भी सम्पत्ति नहीं है।

इस ट्रस्ट का निर्माण अध्यक्ष द्वारा 10,000/- रूपये लगाकर किया गया है इसके अलावा ट्रस्ट पास कोई नई चल-अचल सम्पत्ति नहीं है। ट्रस्ट का कार्यालय भी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है।

आज दिनांक 22/01/2016 निम्नलिखित गवाहों के समक्ष इस ट्रस्ट के संस्थापक/अध्यक्ष हेतु पढ़ कर सोच समझकर, स्वतन्त्र रूप से, स्वस्थ चित्त व बिना किसी मानसिक दबाव के इस ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर किये हैं। उक्त ट्रस्ट डीड गवाहों ट्रस्टियों द्वारा पढ़ी गयी एवं मान्य व स्वीकृत की गयी है। किसी भी बात को छिपाया नहीं गया है।

ह0 .... ह0 .... ह0 ....

राजेश्वरी देवी

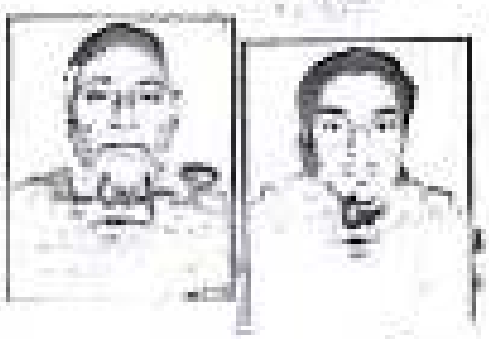

ह0 ....

ह0 ....

For Pt. Rajendra Prasad Shukla Trust

Chairman

दिनांक :— 22.01.2016

ड्राफ्टकर्ता :—

टाइपकर्ता :— मुकेश सिंह

Scanned with CamScanner

आज दिनांक 22/01/2016 को

बही सं. 4 जिल्द सं. 188

पृष्ठ सं. 51 से 84 पर क्रमांक 39

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार

उप निबन्धक प्रथम

बकेवर

22/1/2016

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EA 632873

दान न्यास विलेख स्टाम्प 100 रु

पं० राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट, संजयनगर सिकंदरा, निकट एस०पी०आई० महानगर केन्द्र पीलीभीत बाईपास रोड, अशोक विहार, सुभाषपुर, बरेली ट्रस्ट को गीता मिश्रा पत्नी श्री अमित मिश्र निवासी अशोक विहार, निकट संजय नगर तिराहा पीलीभीत रोड, बरेली द्वारा सम्पादित की गयी थी। जिसका पंजीकरण कार्यालय उपनिबन्धक प्रथम, बरेली में बही सं० 4, जिल्द सं० 188 पृष्ठ सं० 51 से 64 तक दस्तावेज सं० 28 पर दिनांक 22.01.2018 को पंजीकृत हुआ है।

For Pt. Rajendra Prasad Smarak Trust

Chairman

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

1030

[illegible]-5-2018

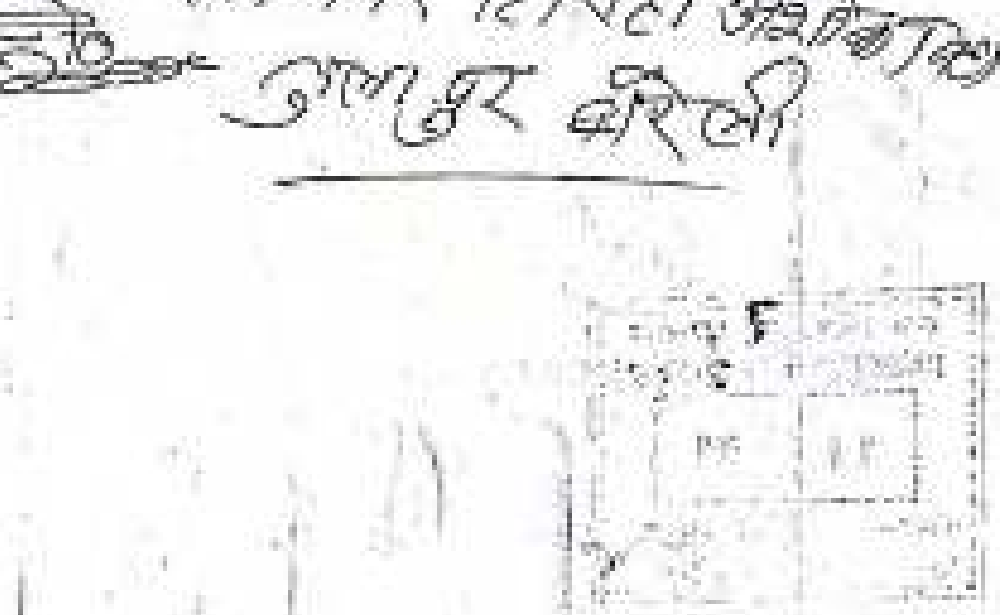

[illegible]

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

FIFTY RUPEES

Rs.50

पचास रुपये

रु.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

For Pt. Rajendra Prasad Smarak Trust

Chairman

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

714 / 30 / 11/5/18 [illegible]

[illegible]

श्री वी0 वाजपेयी
स्टाम्प वि0 ला0 नं0-159
[illegible]

भाग 1

[illegible] 10040 स्टाम्प शुल्क. [illegible] नकल शुल्क - 0 पंजीकरण शुल्क - [illegible] प्रतिलिपिकरण शुल्क - [illegible] योग : [illegible]

श्री अमित मिश्रा, [signature]
पुत्र श्री राकेश मिश्र
व्यवसाय : नौकरी
निवासी : [illegible]

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/05/2018 समय 04:53:17 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
[signature]
[illegible]
उप निबंधक [illegible]
[illegible]

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EA 632874

18 APR 2018

ट्रस्ट बोर्ड की बैठक दिनांक 31.03.2018 के प्रस्ताव सं० 01 के द्वारा निवर्तमान संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती गीता मिश्रा पत्नी श्री अमित मिश्रा द्वारा स्वेच्छा से दिये गये त्याग पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

ट्रस्ट बोर्ड बैठक दिनांक 31.03.2018 के प्रस्ताव सं० 02 के द्वारा निवर्तमान संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती गीता मिश्रा द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री अमित मिश्रा पुत्र श्री राजेन्द्र मिश्रा निवासी बण्डपुरी, पूरनपुर जिला पीलीभीत को सर्वसम्मति से ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया।

पं० राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट के सचिव श्री अमित मिश्रा द्वारा अध्यक्ष पद पर चुने जाने के उपरान्त अपना सचिव पद से त्याग–पत्र निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमती गीता मिश्रा को दिया गया। जो दिनांक 31.03.2018 को निवर्तमान संस्थापक अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया।

ट्रस्ट बोर्ड की बैठक दिनांक 04.08.2018 को आहूत बैठक में श्री अमित मिश्रा, अध्यक्ष द्वारा श्रीमती गीता मिश्रा पत्नी श्री अमित मिश्रा निवासी बण्डपुरी, पूरनपुर जिला पीलीभीत को ट्रस्ट बोर्ड के प्रस्ताव सं० 01 द्वारा सर्वसम्मति से पं० राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट का सचिव मनोनीत किया गया। उक्त प्रस्ताव का ट्रस्ट बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

उपरोक्तानुसार पं० राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट बोर्ड के संशोधित ट्रस्ट बोर्ड का निर्माण हुआ है जो निम्न प्रकार है :-

राजेश्वरी देवी

For Pt. Rajendra Prasad Smarak Trust

Chairman

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि के प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री [illegible] मिश्र पुत्र श्री राजेन्द्र मिश्र

निवासी: मो० [illegible] पूरनपुर जिला पीलीभीत

व्यवसाय: नौकरी

विक्रेता: 2

श्रीमती नीतू मिश्र, पत्नी श्री अखिलेश मिश्र

निवासी: मो० [illegible] पूरनपुर जिला पीलीभीत

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 3

श्रीमती राजेश्वरी मिश्र, पत्नी श्री राजेन्द्र मिश्र

निवासी: मो० [illegible] पूरनपुर जिला पीलीभीत

व्यवसाय: गृहिणी राजेश्वरी देवी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री अंकुर मिश्र, पुत्र श्री राजेश मिश्र

निवासी: [illegible] पूरनपुर [illegible]

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2 अंकुर मिश्र

श्री [illegible] शुक्ला, पुत्र श्री [illegible] कुमार

निवासी: वार्ड [illegible] पूरनपुर

जिला पीलीभीत

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे

नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:

[illegible]

उप निबंधक: पूरनपुर

पीलीभीत

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

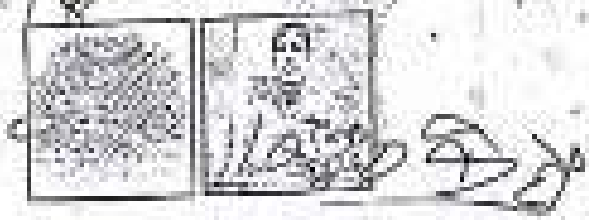

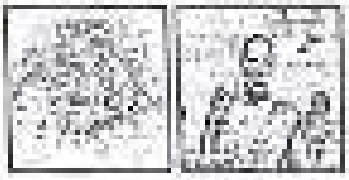

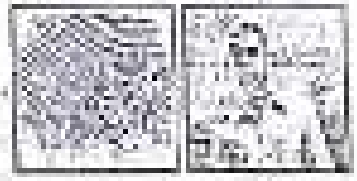

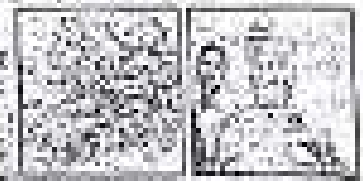

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EA 633077

10 APR 2010

ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं, कृषि विकास परियोजनाओं, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना एवं वर्तमान में जो विभाग/मंत्रालय आदि हैं और भविष्य में जिनका निर्माण हो, से चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं का प्रचार व प्रसार करना।

६. ग्राम-ग्राम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेल-कूद प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, मुशायरा, कवि सम्मेलन, सामूहिक विवाह, श्रमदान, स्वास्थ्य मेला समस्त प्रकार के जागरूकता शिविर जैसे योगा, साम्प्रदायिक जागरूकता, सूचना का अधिकार, पंचायत, पर्यावरण, एड्स, कुष्ठरोग, पल्सपोलियो, एच.आई.वी., परिवार शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कम्प्यूटर शिक्षा, इण्टरलॉक पैकेजिंग सिलाईकढ़ाई और प्रबन्धन, टेक्नोलॉजी सिलाईकढ़ाई, डेयरी उद्योग, पशुओं एवं पक्षियों के मूल्य संवर्धित उत्पाद, जागरूकता, मानव संसाधन विकास, पुनर्वास मनोविज्ञान, आत्मरक्षा शिक्षा एवं योगा, पर्यटन, जनसंख्या, कास्मेटोलॉजी एवं न्यूट्रीशन, प्रारम्भिक बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा, शिशु पालन एवं पोषण, उपभोक्ता संरक्षण, मानव अधिकार, श्रम विकास, आपदा प्रबन्धन, विपणन, प्रबन्धन आदि में विभिन्न प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर आयोजन व संचालन करना।

राजेश्वरी देवी

For Pt. Rajendra Prasad Smarak Trust

Chairman

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

1039

08-5-18

1000

2/11

1039

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EA 633076

19 APR 2016

सेवाश्रम, धर्मशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था करना, कल्याण केन्द्र उपभोक्ता सामग्री केन्द्र खोलना और उन्हें सुव्यवस्थित करना।

2. अस्पताल तथा सभी प्रकार की चिकित्सा विधा जैसे-आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, और यूनानी नेचरोपैथी एवं योगा और अन्य विधा जैसे मानव और पशु चिकित्सा हेतु कार्य करना तथा पशुओं के चारे की व्यवस्था हेतु कार्य करना तथा चलायमान चिकित्सालयों की व्यवस्था करना।

3. शिक्षकों की ट्रेनिंग हेतु जैसे बी.एड, बी.टी.सी., सी.टी.सी. एन.टी.टी. आदि की शिक्षा में देने वाली संस्थाओं की स्थापना करना व किसी भवन को विद्यालय का प्रबंध करना, विद्यालय खोलना, किसी विद्यालय का अधिग्रहण करना आदि।

4. युवा एवं महिला विकास हेतु समूह कल्याण विकास कार्य करना एवं महिलाओं का सामाजिक स्तर उठाने हेतु महिला छात्रावास आदि की व्यवस्था करना एवं समाज कल्याण विभाग व/अन्य केन्द्रीय एवं राज्य, समाज, कल्याण बोर्ड, कपार्ट, आवार्ड, नाबार्ड, आई०सी०आई०सी०आई० बैंक, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनिसेफ, ग्रामीण, सिफसा, सेव इण्डिया, हल्पेज इण्डिया, राजीव फाउण्डेशन, मौलाना आजाद एजूकेशन फाउण्डेशन, नोराड, ऑक्सफेम इण्डिया सेंटर, राष्ट्रीय महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, उद्यान विभाग, वन विभाग, सामाजिक वानिकी राष्ट्रीय ग्रामीण बोर्ड, सीमैप, द्वारा संचालित तथा भविष्य में अन्य संस्थाओं महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा

राजेश्वरी देवी

For Pt. Rajendra Prasad Sharma Trust

Chairman

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

1039

08-5-18

1750

100 रु

19-2-18

1030

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EA 632875

1 8 APR 2016

1. अध्यक्ष ट्रस्टी– श्री अमित मिश्रा पुत्र श्री राजेन्द्र मिश्रा निवासी रामपुरी, पूरनपुर जिला पीलीभीत

2. सचिव ट्रस्टी :– श्रीमती गीता मिश्रा पत्नी श्री अमित मिश्रा निवासी रामपुरी, पूरनपुर जिला पीलीभीत।

3. कोषाध्यक्ष :– श्रीमती राजेश्वरी मिश्रा पत्नी श्री राजेन्द्र मिश्रा निवासी रामपुरी, पूरनपुर (पीलीभीत)

पं॰ राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट की उक्त पंजीकृत ट्रस्ट डीड में कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य व नियम अंकित होने से छूट गये थे। जिनको निम्नवत् संस्था की पंजीकृत ट्रस्ट डीड के साथ पढ़ा जाये एवं ट्रस्ट डीड का अंग माना जाये। निम्नलिखित उद्देश्यों को और सम्मिलित किया जाये।

1. प्राइमरी स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा संस्थायें समस्त भाषाओं हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं में स्थापना व खोलना एवं सामाजिक, विज्ञान, साहित्य, धर्म की उन्नति करना, स्कूल, कॉलेज, कम्प्यूटर शिक्षा, पद्धतियों द्वारा मेडिकल कॉलेज खोलना, चलाना तथा समस्त चिकित्सा पद्धतियों द्वारा पैरामेडिकल, नर्सिंग, टेक्नालॉजी कॉलेज, इन्जीनियरिंग, तकनीक, व्यावसायिक प्रबन्ध, विधि, कृषि एवं ग्रामीण विकास ओरियंटेड कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, पशुचिकित्सा विज्ञान में संस्थाएं स्थापित करना, उनके लिए प्रोफेसर,

For Pt. Rajendra Prasad Smarak Trust

Chairman

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

1032

08-5-18

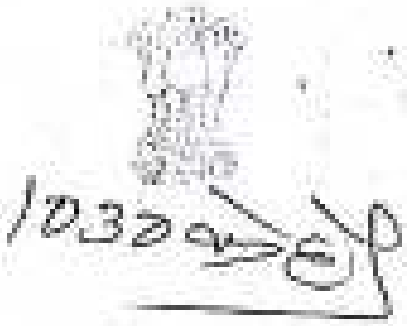

1032

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EA 633078

<u>निम्नलिखित ऋण सम्बन्धित नियमों को भी ट्रस्ट डीड का अंग माना जाये।</u>

1. ट्रस्ट ऋण प्राप्त करने के लिये ट्रस्ट की किसी भी सम्पत्ति को बैंक व किसी भी व्यक्ति विशेष को जिससे ट्रस्ट के लिये ऋण लिया गया है, बन्धक कर सकता है।

2. ट्रस्ट किसी भी बैंक से ट्रस्ट के कार्यों व उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ऋण किसी भी बैंक व व्यक्ति विशेष से ले सकता है व उन सभी ऋणों की अदायगी भी ट्रस्ट की आमदनी से की जायेगी।

<u>विविध नियम–</u>

1. ट्रस्ट में सम्मिलित सभी सम्पत्ति ट्रस्ट की ही रहेगी उसको किसी भी प्रकार से दानदाता या ट्रस्टी सदस्यों को वापस लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस नियम को कभी भी परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
2. ट्रस्ट द्वारा समस्त कार्य सार्वजनिक लाभ के लिए किये जायेंगे किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किये जायेंगे।
3. ट्रस्ट की सम्पत्ति या कोष को ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही प्रयोग किया जायेगा किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा।
4. ट्रस्ट के सभी कार्य निर्धारित समय में पूर्ण किये जायेंगे अगर किसी आवश्यकता धन अभाव की वजह से सम्पन्न नहीं किये जा सकें तो निर्धारित समय में धन की व्यवस्था कर उन उद्देश्यों की पूर्ति की जायेगी।

राजेश्वरी देवी

For Pt. Rajendra Prasad Smarak Trust

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

1035

08-5-18

1032

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EA 633079

6. ट्रस्ट के भंग होने की दशा में ट्रस्ट का सभी कोष व सम्पत्ति को किसी अन्य ट्रस्ट जिसके उद्देश्य व कार्य समान होंगे उन्हें सौंपने का अधिकार प्राप्त होगा किसी भी अन्य प्रकार से ट्रस्ट कोष व सम्पत्ति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

उपरोक्त उद्देश्यों व नियमों का ट्रस्ट डीड में सम्मिलित होना ट्रस्ट की भावी योजनाओं के लिये आवश्यक है।

शेष नियम व शर्तें पूर्व पंजीकृत ट्रस्ट डीड पंज 30 दिनांक 22.01.2016 के अनुसार रहेंगी।

Amit Mishra

Mishra

राजरानी देवी

For Pt. Rajendra Prasad Smarak Trust

Amit Mishra

Chairman

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

1036

08-5-10

100=00

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये ₹.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 375839

आज दिनांक 11.05.2018 को निम्नलिखित गवाहों के समक्ष इस पूरक ट्रस्ट डीड के उपक्रम हेतु पढ़ा-सुन कर समझकर स्वस्थ मन से, स्वस्थ दिमाग व बिना किसी मानसिक दबाव के इस पूरक ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर किये गये हैं। उक्त पूरक ट्रस्ट डीड समस्त ट्रस्टियों द्वारा पढ़ी गयी एवं मान व स्वीकार की गयी। किसी भी बात को छिपाया नहीं गया है।

ह० [illegible] ह० [illegible] ह० [illegible]

साक्षीगण –

[illegible]

9713943978

दिनांक – 11.05.2018

[illegible]

For Pt. Rajendra Prasad Smarak Trust

Chairman

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

प्रियांशु गुप्ता
Priyanshu Gupta
जन्म तिथि/DOB: 22/04/1997
पुरुष/ MALE

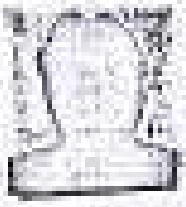

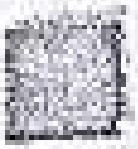

6413 1759 2888

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
आत्मज: संतोष कुमार, वार्ड-24, कमल कॉलोनी, [illegible] व. पूरनपुर, पूरनपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश - 262122

Address:
[illegible] Kumar, Ward 24, Kamal Colony, [illegible] Puranpur, Puranpur, Pilibhit, Uttar Pradesh - 262122

6413 1759 2883

MERA AADHAAR, MERI PEHACHAN

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

1037

08-5-18

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 224 के पृष्ठ 17 से 41 तक क्रमांक 123 पर दिनांक 11/05/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हितेश कुमार
उप निबंधक : सदर प्रथम
बरेली

For Pt. Rajendra Prasad Sharma Trust

Chairman

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner